



संख्या-69/2026/1-1285773/38-2-2026

001-38-2099-99-170-2025

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,  
विशेष सचिव,  
उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
दीनदयाल उपाध्याय  
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,  
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय: जनपद कुशीनगर में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय/आवासीय भवन के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-911/प्रशिO-स्थाO-दो-1(255)टीसी-1/2025-26/कुशीनगर, दिनांक 24 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद कुशीनगर में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत पूंजीलेखा में लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-08-जिला ग्राम्य विकास संस्थान (जनपद बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, आजमगढ़ एवं चन्दौली में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना हेतु) 24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित कुल धनराशि ₹0 8243.60 लाख की व्यवस्था की गयी है।

3- प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि ₹0 3078.40 लाख (अनावासीय/आवासीय भवन के निर्माण का मानकीकरण कतिपय शर्तों के अधीन शासनादेश संख्या-आई/867821/2025-एस-285/38-2-2024, दिनांक 31 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय/आवासीय भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

आंगणन प्रस्ताव के क्रम में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पीएफएडी) द्वारा मूल्यांकित लागत ₹0 3008.25 लाख (अनावासीय भवन हेतु ₹0 2393.73 लाख एवं आवासीय भवन हेतु ₹0 614.52 लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं परियोजना की कुल लागत ₹0 3008.25 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 451.2375 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यावन लाख तेईस हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल 30प्र0 सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च 2025 तथा अन्य/सुसंगत शासनादेशों, मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना के निर्माण हेतु जनपद कुशीनगर में तहसील हाटा ग्राम सिरसिया गाटा संख्या 460 क्षेत्रफल 1.850 हे० भूमि उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाये।

(3) परियोजना की डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव में विद्युत संयोजना मद में एक मुस्त ₹0 8.00 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रभाग का मत है कि डी०जी० एस०आई०आर०डी० द्वारा विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। वाह्य विद्युत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी।

(6) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य करदी गयी है। थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु डी०जी० एस०आई०आर०डी, लखनऊ द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाय। चयनित संस्था द्वारा न्यूनतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त डी०जी०एस०आई०आर०डी, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त डी0जी0एस0आई0आर0डी0 लखनऊ द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। डी0जी0एस0आई0आर0डी0, लखनऊ का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही डी0जी0एस0आई0आर0डी0, लखनऊ का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (Consumed) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/गिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाय। जी0एस0टी0 के संबंध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/डी0जी0एस0आई0आर0डी0, लखनऊ का होगा।

(10) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(11) प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। डी0जी0एस0आई0आर0डी0, लखनऊ द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व डी0जी0एस0आई0आर0डी0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(13) प्रायोजनान्तर्गत मानक आगणन में भवनों के निर्माण हेतु राफ्ट फाउण्डेशन का प्रावधान किया गया है। अन्य जनपदों में भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं इसकी मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फाउण्डेशन का प्रकार उक्त से इतर हो सकता है। अतः मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फाउण्डेशन का निर्धारण किया जाये।

(14) इस मानकीकरण के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु की जाय, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक निर्विवादित एवं निर्माण हेतु उचित भूमि उपलब्ध हो।

(15) प्रायोजनान्तर्गत उपलब्ध भूमि के अनुरूप वाह्य स्थल के कार्यों यथा-सी०सी० रोड, ड्रेन, इंटरलाकिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोरिंग आदि की लागत एवं मात्राएँ भिन्न हो सकती हैं। अतः उक्त हेतु न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया जाये।

(16) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-5/2021/फाइल नं०-65-2013/2/2019-2 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/वाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(17) प्रायोजना स्थल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(19) प्रायोजना प्रस्ताव की लागत उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-272 कैम्पर/ मु०अभि० (भवन)/2023, दिनांक 10 अक्टूबर 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-294 कैम्पर/मु० अभि० (भवन)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर 2023 के आधार पर लागू जनपदीय अनुसूची दरों/कास्ट इन्डोक्स० फैक्टर के कारण भिन्न हो सकती हैं।

(20) प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर मिट्टी भराई मद में धनराशि देय होगी।

(21) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जानी आवश्यक हो. उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(22) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ०प्र० एवं महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाव, लखनऊ एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाव लखनऊ को भेजी जाय।

(23) इस धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(24) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(25) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(26) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी०एल०ए०/ बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(27) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(28) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था की उपलब्ध करायी जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(30) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्रुत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(31) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(32) परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दि० 21.06.2017 में दिये गये दिशा निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(33) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(34) प्रस्तावित निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट से कराया जायेगा।

(35) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ/कार्यदायी संस्था का होगा।

(36) प्रश्रुत निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-आई/867821/2025-एस-285/38-2-2024, दिनांक 31 जनवरी, 2025 के द्वारा अनावासीय भवन के निर्माण हेतु मानकीकरण की शर्तों एवं व्यय वित्त समिति/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(37) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(38) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्यायिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(39) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ, जनद के मुख्य विकास अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(40) विभाग द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का पूर्णरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(41) प्रशासकीय विभाग द्वारा सीएमआईएस पोर्टल पर ₹0 1.00 करोड़ या उससे अधिक लागत की योजनाओं की त्रुटिरहित अद्यतन प्रविष्टि कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या-3/2022/546/35-1-2022-422/यो0मा0प्र0/2018टी0सी0-2, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ₹0 45123750 लाख (रुपये चार करोड़ इक्यावन लाख तेईस हजार सात सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4059010510800 जिला ग्राम्य विकास संस्थान मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-**.E-2-280-X-2025-26-दिनांक: 31-3-2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
रजनीश चन्द्र  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०, लखनऊ को बजट की समेकित सूचना के अनुश्रवण हेतु
- 4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाव लखनऊ।
- 6- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनु०-4
- 8- ग्राम्य विकास अनुभाग-5/8
- 9- निदेशक कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
चन्द्रिका प्रसाद  
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।